आवासीय व्यवस्था के आवंटन हेतु संशोधित नीति

(भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-इलाहाबाद)

(कार्यान्वयन की तिथि 2 मार्च, 2022)

(आवासीय व्यवस्था के आवंटन हेतु संशोधित नीति का हिन्दी अनुवाद)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, भारत सरकार के संसद के अधिनियम द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। संस्थान परिसर में संस्थान के नियमित या संविदा कर्मचारियों की आवासीय प्रयोजन के उद्देश्य हेतु कुछ आवासीय इकाइयां/क्वार्टर बनाये गये हैं।

धारा 1 - आईआईआईटी-ए परिसर में क्वार्टरों की स्थिति

परिसर में निम्नलिखित प्रकार के क्वार्टर उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	क्वार्टर के प्रकार	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (लगभग)
1	**एफ-टाइप क्वार्टर**	**05**	**200**
2	**ई-टाइप क्वार्टर**	**14**	**160**
3	**जे- टाइप क्वार्टर**	**20**	**148**
4	**डी एंड एच टाइप क्वार्टर**	**28 +18= 42**	**120**
5	**सी एंड जी टाइप क्वार्टर**	**02 + 20= 22**	**100**
6	**बी एंड आई टाइप क्वार्टर**	**16 + 32= 48**	**85**
7	**ए टाइप क्वार्टर्स**	**08**	**55**

धारा 2 – पात्रता

संस्थान के नियमित कर्मचारी को एक विशेष प्रकार के आवास के लिए पात्र माना जाएगा, जिसे अब "पात्रता की तिथि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, वह न्यूनतम ग्रेड पे (जीपी) / शैक्षणिक ग्रेड पे (एजीपी) प्राप्त करता है। / वेतन स्तर, जैसा कि संस्थान परिसर में क्वार्टर की उपलब्धता के आधार पर नीचे सूचीबद्ध है:

अ. एफ- टाइपः 5 आवासों में से 4 अकादमिक वेतन स्तर 14ए और 14 (एजीपी एचएजी स्केल, 10500 रुपये और 10000 रुपये) के साथ संकाय सदस्य को आवंटित करने के लिए आरक्षित हैं और 01 संख्या गैर शिक्षण संवर्ग / कुलसचिव हेतु एजीपी रुपये 10000 या वेतन स्तर 14 के साथ निर्धारित की जाएगी।

ब. जे एवं ई-टाइपः शैक्षणिक वेतन स्तर 13ए और 13 (एजीपी रु. 9500 और रु. 9000) और उससे ऊपर वाले संकाय सदस्यों के लिए या वेतन स्तर 13 (एजीपी रु. 8700) और उससे अधिक वाले गैर शिक्षण संवर्ग के लिए क्वार्टर रखे जाने हैं।

स. एच एवं डी-टाइपः शैक्षणिक वेतन स्तर 12 (एजीपी रु. 8000) और उससे अधिक वाले संकाय सदस्यों के लिए या वेतन स्तर 12 (एजीपी रु. 7600) और उससे अधिक वाले गैर शिक्षण संवर्ग के लिए क्वार्टर रखे जाने हैं।

द. सी एवं जी-टाइपः शैक्षणिक वेतन स्तर 10 और 11 (एजीपी रु. 6000 और 7000 और उससे अधिक या गैर शिक्षण संवर्ग के लिए वेतन स्तर 10 (एजीपी रु. 5400) और उससे अधिक वाले संकाय सदस्य के लिए।

ई. बी एवं आई-टाइपः गैर शिक्षण संवर्ग के वेतन स्तर 2 से 6 (जीपी 1900 से 4200) और उससे अधिक के लिए क्वार्टर आरक्षित हैं।

एफ. ए-टाइपः निदेशक के अनुमोदन से अस्थायी आधार पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार क्वार्टर आवंटित किए जा सकते हैं।

सम्पदा अधिकारी एवं कुलसचिव वाली समिति की संस्तुति पर निदेशक के अनुमोदन के बाद संस्थान की आवश्यकता के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए आवासों का आवंटन मामले दर मामले के आधार पर किया जाएगा।

धारा 3- वरिष्ठता सूची और मकान आवंटन के लिए सामान्य प्रक्रिया

अ. प्रत्येक प्रकार के आवास के लिए, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।

ब. आवास आवंटन के प्रयोजनों के लिए वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा।

1. किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए पात्र सभी व्यक्तियों को उनके वेतन स्तर (जीपी/एजीपी) के अनुसार समूहबद्ध किया जाएगा। उच्च वेतन स्तर (जीपी/एजीपी) वाले व्यक्तियों को वास्तविक मूल वेतन के बावजूद निम्न वेतन स्तर (जीपी/एजीपी) वाले लोगों से वरिष्ठ माना जाएगा।
2. समान वेतन स्तर (जीपी/एजीपी) वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता एक विशेष प्रकार के आवास के लिए पात्रता की तिथि, स्टेशन वरिष्ठता, मूल वेतन और जन्म तिथि (उम्र में वरिष्ठ) के क्रम में निर्धारित की जाएगी।
3. आवंटन प्रक्रिया में, यदि किसी विशेष प्रकार के एक से अधिक खाली आवास हैं, तो आवंटन वरिष्ठता के क्रम में किया जाएगा (खंड 3 (ii) और 3 (iv) के साथ पढ़ा जाए)।
4. स्वीकृति/अस्वीकृति की समय सीमा पर या उससे पहले किसी व्यक्ति द्वारा आवास के आवंटन से इंकार करने की स्थिति में, प्रस्ताव वरिष्ठता सूची में अगले व्यक्ति को दिया जाएगा, और यह प्रक्रिया पूरी वरिष्ठता सूची समाप्त होने तक दोहराई जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद खाली हुए आवासों को अगले दौर में फिर से मंगाया जाएगा।
5. आवंटन प्रक्रिया में, किसी व्यक्ति को कोई आवंटन/पार्श्व शिफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह कथित आवंटन के अगले 18 महीनों के भीतर सेवानिवृत्ति के लिए देय है।
6. जिस कर्मचारी ने निम्न श्रेणी के आवास का विकल्प चुना है, उसके अलावा जिसके लिए वह हकदार है, आवंटित किया जा सकता है।

धारा 4- आवंटन रद्द किया जाना

आवासीय आवास आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी के मौजूदा आवंटन को रद्द कर सकता है और उसे उसी प्रकार का एक वैकल्पिक निवास स्थान आवंटित कर सकता है या आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारी द्वारा निवास के प्रकार के निवास के नीचे के प्रकार का एक वैकल्पिक निवास यदि आवास कर्मचारी द्वारा कब्जा खाली करने की आवश्यकता है।

धारा 5- चिकित्सा आधार पर आवंटन

चिकित्सा आधार के तहत घर का आवंटन (कोई विशेष नहीं) कर्मचारी को उसके या उसके आश्रितों (संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार) के लिए अनुमत है यदि वे उसी के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे सभी आवेदन संस्थान के मेडिकल बोर्ड (सीएमओ द्वारा गठित) को उसकी राय और सिफारिशों के लिए भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर एक घर आवंटित किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के आवंटन का दायरा उसी प्रकार के घर तक सीमित होगा, जिसके लिए कर्मचारी हकदार है।

धारा 6- एफएसटी (लंबी/छोटी अवकाश)/अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले व्यक्तियों द्वारा सदन का प्रतिधारण

(अ). एक नियमित कर्मचारी द्वारा आवास के प्रतिधारण की अनुमति है यदि वह संस्थान के साथ अपना ग्रहणाधिकार होने के बाद एफएसटी पर प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ा है। उक्त आबंटित मकान को कर्मचारी के कार्यकाल की समाप्ति तक या उसकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी को समय-समय पर संस्थान द्वारा तय किए गए के अनुसार लाइसेंस शुल्क, लागू होने वाले आवास का किराया, विद्युत बिल और अन्य रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ब). एक आवंटन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस पर यह कब्जा है या आवंटिती द्वारा आवंटन आदेश की प्राप्ति की तिथि से 8 वें दिन से, जो भी पहले हो, और जब तक लागू रहेगा:

1. कर्मचारी के संस्थान की सेवा में समाप्त होने के बाद नीचे उप-खंड (सी) के तहत अनुमेय रियायती अवधि की समाप्ति;
2. इसे संपदा अधिकारी/निदेशक द्वारा रद्द किया जाता है या इन नियम-iii के किसी प्रावधान के तहत रद्द माना जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा सरेंडर किया जाता है।

(स) किसी भी कर्मचारी को आवंटित आवास नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने से परे रखा जा सकता है, बशर्ते कि आवास अधिकारी या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यक हो।

क्र.सं.	आयोजन	निवास के प्रतिधारण के लिए अधिकतम अवधि
i.	इस्तीफा, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने, सेवा की समाप्ति या अनुमति के बिना और गैर नियमित कर्मचारियों के लिए अनाधिकृत अनुपस्थिति।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर एक महीने।

ii.	सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, टर्मिनल छुट्टी या प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल विभाग में प्रत्यावर्तन और एक आवंटी की मृत्यु जो संस्थान का नियमित कर्मचारी नहीं है।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर छह महीने।
iii.	आबंटिती की मृत्यु के मामले में या लापता व्यक्ति के मामले में पात्र पति या पत्नी को उस तारीख से जिस पर पुलिस अधिकारी प्रमाणित करता है कि कर्मचारी लापता है।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 12 महीने और सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 12 महीने की आगे की अवधि के लिए, बशर्ते मृतक या लापता आवंटी या परिवार के किसी सदस्य के पास आवास के कब्जे के स्थान पर अपना घर न हो।
iv.	एफआर 86 के तहत दी गई सेवानिवृत्ति या अस्वीकृत अवकाश के लिए प्रारंभिक अवकाश।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर अवकाश की पूर्ण अवधि के लिए।
v.	चिकित्सा अवकाश।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर अवकाश की पूर्ण अवधि।
vi.	अध्ययन अवकाश/प्रशिक्षण या सेकेंडमेंट/विश्राम अवकाश।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर अवकाश की वास्तविक अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी पहले हो।
vii.	विदेशी कार्यभार (असाइनमेंट) पर अवकाश या भारत में बिना वेतन के अवकाश।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो वर्ष।
viii.	प्रतिनियुक्ति	दो वर्ष या साठ माह तक प्रतिनियुक्ति की अवधि (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार) सामान्य लाइसेंस शुल्क और संगठन से आवंटी द्वारा लिए गए मकान किराया भत्ता पर।

- (vi), (vii) के लिए सामान्य किराए पर आवास को बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए निवास को बनाए रखा जाता है, जिसे सम्पदा अधिकारी और रजिस्ट्रार की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालांकि, ऊपर बताई गई अवधि के बाद निवास को बनाए रखने की अनुमति निदेशक के विवेक पर बाजार किराए के भुगतान पर दी जा सकती है, अधिकतम एक वर्ष तक, बशर्ते छुट्टी की अवधि केवल तीन वर्ष तक हो। इसके बाद मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखा जा सकता है।
- हालांकि, यदि संबंधित आबंटिती/संकाय सदस्य वापस नहीं आता है और ईओएल की समाप्ति पर ड्यूटी फिर से शुरू करता है, तो उससे ईओएल अवधि सहित पूरी अवधि के लिए सामान्य किराए के बजाय बाजार किराया लिया जाएगा।

धारा 7- स्वीकृति के बाद आवंटन के प्रस्ताव की अस्वीकृति

यदि कोई व्यक्ति आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अस्वीकार करता है, तो वह ऐसे प्रस्ताव की अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद ही मकान के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।

धारा 8 - नियमित कर्मचारी को आवंटित आवास के लिए लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क

संस्थान के एक आवंटी, जिसे आवासीय उद्देश्य के लिए घर आवंटित किया गया है, से बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई दर पर लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, उनसे बिजली की खपत, पानी के शुल्क वास्तविक के अनुसार चार्ज किए जाएंगे। लाइसेंस शुल्क की वर्तमान संरचना निम्नानुसार होगी: –

क्र.सं.	क्वार्टर के प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (लगभग)	लाइसेंस शुल्क (रु.)*
1.	**एफ-टाइप क्वार्टर**	**200**	**2580**
2.	**ई-टाइप क्वार्टर**	**155**	**1840**
3.	**जे- टाइप क्वार्टर**	**148**	**1840**
4.	**डी-टाइप और एच क्वार्टर**	**120**	**1490**
5.	**सी एंड जी टाइप क्वार्टर**	**100**	**1400**
6.	**बी एंड आई टाइप क्वार्टर**	**85**	**750**
7.	**ए टाइप क्वार्टर्स**	**55**	**560**

* भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आदेशों के अनुसार उपरोक्त दरें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

संस्थान के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

धारा 9- संविदा कर्मचारी को आवंटित आवास के लिए लाइसेंस शुल्क एवं अन्य प्रभार

संविदा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात परिसर के अंदर आवास आबंटित किया जा सकता है। अनुबंधित कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क (धारा संख्या 9 के अनुसार) और उनके मूल वेतन के 20% के बराबर मासिक किराया लिया जाएगा। इसके अलावा उनसे बिजली की खपत और पानी के शुल्क वास्तविक के अनुसार लिए जाएंगे।

धारा 10- पति-पत्नी को आवंटन

किसी भी कर्मचारी को आवास आवंटित नहीं किया जाएगा यदि अधिकारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, को पहले से ही आवास आवंटित किया गया हो, जब तक कि ऐसा आवास वापस नहीं किया जाता है। हालांकि, यह प्रतिबंध वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में अलग-अलग रह रहे हों।

जहां अलग-अलग आवासों में रहने वाले दो कर्मचारी एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं, उन्हें शादी के एक महीने के भीतर निवास के एक आवास को छोड़ देना चाहिए। यदि आवास अभ्यर्पित नहीं किया जाता है तो निम्न प्रकार के आवास का आवंटन विवाह की एक माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जायेगा। यदि दोनों आवास एक ही प्रकार के हैं, तो सम्पदा अधिकारी यह निर्णय करेगा कि उक्त अवधि की समाप्ति पर किस आवास का आवंटन रद्द माना जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संस्थान में कार्यरत हैं तो पात्रता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

धारा 11- आवंटन का समर्पण:

आवंटी किसी भी समय आवास खाली करने की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व सम्पदा अधिकारी को सूचना देकर आबंटन वापस कर सकता है। संपदा अधिकारी को पत्र प्राप्त होने के ग्यारहवें दिन या पत्र में निर्दिष्ट तिथि, जो भी बाद में हो, से आवास का आवंटन रद्द माना जाएगा। यदि वह उचित नोटिस देने में विफल रहता है तो वह दस दिनों के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा या जितने दिनों तक उसके द्वारा दी गई नोटिस दस दिनों से कम हो जाती है बशर्ते कि संपदा अधिकारी नोटिस को कम अवधि के लिए स्वीकार कर सकता है। . आवास छोड़ने वाले आवंटी को उसी स्थान पर सरकारी आवास के आवंटन के लिए ऐसे समर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से विचार नहीं किया जाएगा।

धारा 12- निदेशक की विवेकाधीन शक्तियाँ

ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत न आने वाली स्थितियों का निर्णय सम्पदा अधिकारी और कुलसचिव वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, निदेशक, असाधारण परिस्थितियों में और संस्थान के हित में, उपरोक्त समिति के परामर्श से किसी भी संकाय/कर्मचारी सदस्यों को कोई भी घर आवंटित करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मतभेद की स्थिति में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

धारा 13- आवासों के आबंटन से संबंधित सरकारी आदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं और निदेशक के अनुमोदन से लागू किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये संस्थान के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हों। किसी परिवर्तन के मामले में मामले को विचार और अनुमोदन के लिए शाषी मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) में ले जाया जाएगा।